





सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के मुख्य आयुक्त का कार्यालय, विशाखापट्टणम क्षेत्र प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र,

विशाखापट्टणम - 530035

Office of the Chief Commissioner, Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone 1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam - 530035

(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942

ccu-cexvzg@nic.in

स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं.08/2024 (MTS) Establishment Order (N.G.O) No.08/2024 (MTS) दिनांक 18 अप्रैल 2024 Dated 18 April 2024

कर्मचारी चयन आयोग दवारा प्रायोजित श्री जय शिव भरदवाज को केंद्रीय कर के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति के संबंध में, अपर आयुक्त केन्द्रीय कर, हैदराबाद सीजीएसटी आयुक्तालय (संनिप्रा), हैदराबाद द्वारा जारी स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं 45/2024 दिनांक 28.03.2024 के अनुसार विशाखापट्टणम सीजीएसटी क्षेत्र में आवंटन पर, मल्टी-टास्किंग स्टाफ के संवर्ग में **श्री जय शिव भरदवाज** को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, ऋण आधार पर, विशाखापट्टणम सीजीएसटी आयुक्तालय मे तैनात किया जाता है ।

Consequent upon initial appointment of Shri Jay Shiv Bhardwaj recommended by Staff Selection Commission on the basis of result of Multi Tasking (Non-Technical) Staff and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2023 for the post of Multi Tasking Staff vide EO (NGO) No. 45/2024 dated 28.03.2024 issued by the Additional Commissioner of Central Tax, Hyderabad CGST Commissionerate (CCA), Hyderabad, and on allotment to Visakhapatnam CGST Zone, Shri Jay Shiv Bhardwaj, Multi-Tasking Staff is hereby posted to Visakhapatnam CGST Commissionerate on "loan basis" with immediate effect and until further orders.

बोर्ड के फा.सं. ए-11019/17/2018-एडी.IV दिनांक 13.08.2019 के अनुसार, उक्त तैनाती ऋण आधार पर (म्.आ.का. की स्वीकृत संख्या से) प्रारंभिक रूप से दो वर्ष की अविध के लिए है। मल्टी-टास्किंग स्टाफ के संवर्ग में रिपोर्ट करने की तिथि से उक्त अधिकारी के वेतन और भन्ने आहरण एवं सवितरण अधिकारी (डीडीओ), विशाखपट्टणम सीजीएसटी आयुक्तालय द्वारा आहरित किये जाएंगे।

In terms of Board's letter F.No.A-11019/17/2018-Ad.IV dated 13.08.2019, the posting is on loan basis (from the sanctioned strength of CCO VZ) initially for a period of two years. The pay & allowances of the above officer will be drawn by the DDO, Visakhapatnam CGST Commissionerate from the date of joining in the cadre of Multi Tasking Staff.

- श्री जय शिव भरद्वाज दिनांक 04.04.2024 के अपराहन में मु.आ.का में रिपोर्ट किए थे और अपने नए पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने के लिए, उन्हे दिनांक 18.04.2024 के पूर्वाहन में कार्यमुक्त किया जाता है। Shri Jay Shiv Bhardwaj, Multi-Tasking Staff reported in CCO VZ in the afternoon of 04.04.2024 and stands relieved in the forenoon of today i.e 18.04.2024 to enable him to report at his new place of posting.
- अपर आयुक्त केन्द्रीय कर, हैदराबाद सीजीएसटी आयुक्तालय (सीसीए), हैदराबाद द्वारा जारी स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं 45/2024 दिनांक 28.03.2024 में अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहती हैं।

All other terms and conditions in EO (NGO) No. 45/2024 dated 28.03.2024 issued by the Additional Commissioner of Central Tax, Hyderabad CGST Commissionerate (CCA), Hyderabad remain unaltered.

- 5. संबंधित दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाए । Necessary entries may be made in relevant records.
- 6. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। In case of any ambiguity English version will prevail.
- 7. यह प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखापट्टणम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Principal Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Visakhapatnam Zone.

(एम. श्रीकान्त / M Sreekanth)

अपर आयुक्त / Additional Commissioner

(फाइल सं GCCO/II/(3)/46/2024-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM से जारी) [Issued from file GCCO/II/(3)/46/2024-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM]

सेवा में / To

संबंधित व्यक्तियों को। / The Individual

प्रतिलिपि:

- 1. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर, विशाखपट्टणम सीजीएसटी आयुक्तालय / हैदराबाद (सं.नि.प्रा)
- 2. मु.ले.अधिकारी/ आ.सं.अ विशाखपट्टणम सीजीएसटी आयुक्तालय
- 3. वे एवं ले. अधिकारी, विशाखपट्टणम
- 4. सूचना पट्ट/वेबसाइट/स्टॉक फाइल ।

Copy to:

- The Principal Commissioner / Commissioner of Central Tax, Visakhapatnam CGST / Hyderabad (CCA).
- 2. CAO/DDO of Visakhapatnam CGST Commissionerate
- 3. PAO Visakhapatnam
- 4. Notice Board/website/Stock file.